रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1996/पौष 10, 1918
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1996/PAUSA 10, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1996.

सा. का. नि. 595 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आवंटन) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पी. आर.-12016/2/96-पी. ई. 1]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आबंटन) प्रथम संशोधन विनियम, 1993 का निम्नलिखित संशोधन करता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो।

1. (i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आबंटन) द्वितीय संशोधन विनियम, 1996 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आवंटन) (प्रथम संशोधन) विनियम 1993, (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 6 में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :—

6. **आवासों का वर्गीकरण** :—इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय किसी कर्मचारी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई परिलब्धियों के अनुसार उचित टाइप का आवासीय मकान हाका आवंटन किया जाएगा ।

अनुसूची

कर्मचारियों की श्रेणी अथवा जब उसे मकान का आवंटन किया जाता है उस वर्ष में पहले दिन उसकी मासिक कुल उपलब्धियां ।

आवास का प्रकार	डब्ल्यू. आर. सी. वेतनमान 1993 के अनुसार श्रेणी III और IV कर्मचारियों के लिए (मूल वेतन)	ओ. एस. डी. वेतनमान 1987 के अनुसार वर्ग I और वर्ग II अधिकारियों के लिए (मूल वेतन)
टाइप I	रु. 2380-00 तक	-------
टाइप II	रु. 2381-00 से 2980-00 तक	-------
टाइप III	रु. 2981-00 से 3890-00 तक	रु. 2100-00 से रु. 3200-00 तक
टाइप IV	रु. 3891-00 से अधिक	रु. 3201-00 से रु. 3700-00 तक
टाइप V	-------	रु. 3701-00 से रु. 4400-00 तक
टाइप VI	-------	रु. 4400-00 से अधिक
टाइप VII	-------	अध्यक्ष के आवास

टिप्पणी :—यदि विशिष्ट टाइप के मकानों के आबंटन के लिए उस टाइप के पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो, इन मकानों को उन कर्मचारियों को आवंटित किया जाए जो अगले उच्च या निचले टाइप आवासों के लिए पात्र हैं बशर्ते कि जब उक्त श्रेणी के कर्मचारी पात्र हो जाते हैं तब आवास आबंटित व्यक्ति अपने आवास को खाली करें ।

3. उक्त विनियम के विनियम 7 में निम्नलिखित संशोधन होंगे :—

7. **लाइसेन्स शुल्क की वसूली :**

विनियम 6 के अंतर्गत आबंटित आवास के टाइप के लिए कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप निम्नलिखित नियम लागू किए जाने चाहिएं :—

(i) वे कर्मचारी जो डब्ल्यू. आर. सी. वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, उनसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेन्स शुल्क के अनुसार समान दरों (फ्लैट रेट) पर लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जाना चाहिए और दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 को 5 परिसंघों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष बी. डब्ल्यू. एन. सी. एवं अध्यक्ष मुंबई पत्तन न्यास जो प्रबंधन की ओर प्रतिनिधि के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार 1-1-1993 से समय-समय पर आशोधित होना चाहिए ।

(ii) वे अधिकारी जो ओ. एस. डी. वेतनमान के अंतर्गत आते हैं: उनके लाइसेन्स शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समान दरों (फ्लैट रेट) पर और 1-4-1987 से समय-समय पर संशोधित दरों पर वसूल किया जाना चाहिए ।

(iii) उप-अनुच्छेद (iii) निकाल दिया जाय ।

(iv) वर्तमान का उप-अनुच्छेद (iv) को उप-अनुच्छेद (iii) के रूप में पुनरांकित किया जाएगा ।

(v) उक्त विनियम का उप-अनुच्छेद (v) उप-अनुच्छेद (iv) के रूप में पुनरांकित होगा जिसका संशोधित रूप निम्न प्रकार है :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिन्हें पत्तन ने आवासों का आवंटन किया है, उनसे चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित समान दरों (फ्लैट रेट) और समय-समय पर संशोधनानुसार लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जाना चाहिए ।

पाद टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 28-3-1990 को भारत सरकार के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 150 (अ) में प्रकाशित हुए हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं:— सा. का. नि. सं. 256 (अ) दिनांक 3-3-1993 ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1996

G. S. R. 595 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Second Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Sechedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/2/96-PE-1]
K. V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (33 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government under section 124 of the above Act, the following Regulation to amend the New Mangalore Port Trust Employees (allotment of Residences) First Amendment Regulations, 1993.

1. (i) These regulations may be called New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) Second Amendment Regulations, 1996.

 (ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. In Regulation 6 of New Mangalore Port Trust Employees (Allotment of Residences) (First Amendment) Regulations, 1993 (herein after referred to the said Regulations), Regulation 6 shall be substituted as follows :

 6. **Classification of Residences :**—Save as otherwise provided by these Regulations, an employee shall be eligible for being allotted a Residence of the type appropriate to emoluments shown in the table below :

SCHEDULE

	Category of employee or his monthly emoluments as on the first day of allotment year in which the allotment is made.	
Type of Residence	For Class III & Class IV employees in 1993 W. R. C. Scale (Basic Pay)	For Class I & Class II Officers in 1987 O. S. D. Scales (Basic Pay)
Type I	Upto Rs. 2380.00	----------
Type II	From Rs. 2381.00 to Rs. 2980.00	----------
Type III	From Rs. 2981.00 to Rs. 3890.00	From Rs. 2,100.00 to Rs. 3,200.00
Type IV	From Rs. 3891.00 and above	From Rs. 3,201.00 to Rs. 3,700.00
Type V	----------	From Rs. 3,701.00 to Rs. 4,400.00
Type VI	----------	Above Rs. 4,400.00
Type VII	----------	Chairman's Residence

Note :—If sufficient number of employees who are eligible for a particular type of residences are not available, the residences of the type may be allotted to other employees who are eligible for the next higher or lower type of residence subject to the condition that as and when eligible employees become available, the residence so allotted shall be vacated by such allottee.

3. The Regulation 7 of the said Regulations shall be modified as follows :—

7. **Recovery of Licence Fee :**—For the purpose of recovery of Licence Fee or type of residence allotted under Regulation 6, the following Rules shall be applied as per the service conditions of the employees.

(i) In respect of the Officials borne under W. R. C. pay scales, the Licence Fee should be recovered at flat rate of Licence Fee fixed by the Central Govt. and revised from time-to-time, with effect from 1-1-1993 as per the Memorandum of Settlement arrived at on the 6th December, 1994 between the Representatives of Federations and the Chairman B. W. N. C. and Chairman, Bombay Port Trust representing the Management.

(ii) In the case of Officers borne under O. S. D. scales, the Licence Fee at the rate of flat rate fixed by the Central Government and revised from time-to-time should be recovered w.e.f. 1-4-1987.

(iii) The Sub-para (iii) stands deleted.

(iv) The existing Sub-para (iv) will be renumbered as Sub-para (iii).

(v) The Sub-para (v) of above Regulation shall be renumbered as Sub-para (iv) and modified as follows :

In the case of Central Government Employees who have been allotted with the Port Quarters, the Flat Rate of Licence Fee as fixed by the Central Government based on the IV Pay Commissioner Recommendation and revised from time-to-time should be recovered.

FOOT NOTE:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G. S. R. 150 (E) dated 28th March, 1990 and subsequently amended vide :—(i) G. S. R. 256 (E) dated 3rd March, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997